<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिन्कर दिवाकर)

दांडिक अपील संख्या 381/2009

<u>अपीलकर्ता</u> दुर्गा प्रसाद उर्फ़ बबला

<u>विरुद्ध</u>

<u>प्रत्यर्थी</u> छत्तीसगढ़ शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता की ओर से – श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/शासन की ओर से – श्री वैभव गोवर्धन, पी.एल.

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत आपराधिक अपील</u>

<u>निर्णय</u>

(27.01.2011)

यह अपील दिनांक 6.5.2009 को विशेष न्यायाधीश, कोरिया (बैठक – बैकुंठपुर) द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 06/2008 में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 (1) के अंतर्गत दोषसिद्ध कर और उसे धारा 363 के अंतर्गत पाँच वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹3000 का जुर्माना, धारा 366 के अंतर्गत सात वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5000 का जुर्माना

तथा धारा 376 के अंतर्गत दस वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹7000 का जुर्माना अदा करने का दंड व्यतिक्रम की शर्तों के साथ दी गई।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक 6.11.2007 को राम प्रसाद (अ.सा.-12) – अभियोक्त्री के पिता द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-23-सी) दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप था कि उसकी पुत्री दिनांक 4.11.2007 से लापता है। आरोप है कि दिनांक 7.11.2007 को अभियोक्त्री घर वापस आई और दिनांक 19.11.2007 को अभियोक्त्री द्वारा अपने पिता के माध्यम से सक्षम न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत शिकायत (प्रदर्श पी-16) प्रस्तुत की गई। न्यायालय के निर्देश के पश्चात् जाँच की गई और अंततः दिनांक 14.12.2007 को पुलिस द्वारा अपीलकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 (1) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(ii)(v) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-17) दर्ज की गई। अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, दिनांक 14.12.2007 को ही अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. स्वाति बंसरिया (अ.सा.-5) द्वारा प्रदर्श-8 के अनुसार किया गया। केस डायरी कथन में अभियोक्त्री ने कहा कि वह पिछले पाँच वर्षों से अपने माता-पिता की सहमति से अंबिका सिंह के दल में नृत्य करती थी और प्रति कार्यक्रम ₹500 प्राप्त करती थी। आरोप है कि अपीलकर्ता ने भी एक नृत्य दल बनाया और उसे साथ चलने को कहा। अभियुक्त/अपीलकर्ता के कहने पर तथा ₹100 अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद वह अपनी माता की सहमति से उसके साथ सीधी (म.प्र.) गई, जहाँ वह राजा नामक व्यक्ति के घर में रही। किंतु संध्या समय अभियुक्त/अपीलकर्ता उसे मोटरसाइकिल से एक सुनसान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थान पर ले गया, उसे पेय पदार्थ दिया और जबरन यौन संबंध स्थापित किया। जाँच के पश्चात् दिनांक 26.4.2008 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराने हेतु अभियोजन ने अपने पक्ष में कुल 16 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्त/अपीलकर्ता का कथन भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया जिसमें उसने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा अपनी निर्दोष होने का अभिवाक किया है।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलकर्ता को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(ii) (v) के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, किन्तु उसे उपर्युक्त अनुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के साथ आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया गया।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामला झूठा फँसाए जाने का प्रतीत होता है, क्योंकि दो नृत्य दलों के मध्य प्रतिद्वन्द्विता थी—एक दल अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा संचालित तथा दूसरा अम्बिका सिंह द्वारा। बहस करते समय उन्होंने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कु. सबनम (अ.सा.-16) के कथन का उल्लेख किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत बलात्कार की कथा अत्यन्त असंभाव्य है, क्योंकि अभियोक्त्री के चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करते। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने डॉ. स्वाति बंसरिया (अ.सा.-5) के कथन का हवाला दिया, जिनके अनुसार अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी या आन्तरिक चोट नहीं पाई गई तथा उसकी योनिपटिका अक्षुण्ण थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोक्त्री की न्यायिक विज्ञान

प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करती। अभियोक्त्री की आयु के सम्बन्ध में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री के माता-पिता —श्रीमती गीता (अ.सा.-11) और राम प्रसाद (अ.सा.-12)—ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह लगभग 19 वर्ष की थी। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोक्त्री की एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार उसकी आयु 15 से 17 वर्ष आंकी गई और यदि दो वर्ष का मार्जिन लिया जाए तो यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि घटना के समय उसकी आयु लगभग 19 वर्ष थी। सबनम (अ.सा.-16) का कथन, जिन्होंने अपना जारी किया हुआ प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-18) प्रस्तुत किया, भी अविश्वसनीय है क्योंकि उस प्रमाणपत्र में अभियोजिका की जन्मतिथि 5.7.1994 अंकित है और वह प्रमाणपत्र प्रविष्टि रजिस्टर (प्रदर्श पी-24-सी) पर आधारित है जिसमें कुछ ओवर-राइटिंग स्पष्ट है और जन्मतिथि 9.9.1990 दिखाई देती है। अन्ततः, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि शिकायत और प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है, जिसे अभियोजन द्वारा संतोषजनक रूप से नहीं समझाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/शासन के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और यह प्रस्तुत किया कि लगभग 13-14 वर्ष की एक अल्पवयस्क बालिका को अभियुक्त/अपीलकर्ता जबरन सीधी ले गया और उसकी असहाय स्थिति का लाभ उठाकर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोक्त्री की आयु अभियोजन द्वारा विधिवत् प्रमाणित की गई है, अभिलेख प्रदर्श पी-18 और प्रदर्श पी-24-सी के आधार पर। उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रदर्श पी-24-सी में जो मामूली विसंगतियाँ हैं, उन्हें सबनम (अ.सा.-16) के कथन के आलोक में नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शासन के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच आती है और इस प्रकार

अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 और 376(1) के अंतर्गत दोषसिद्ध एवं दण्डित करने वाला आक्षेपित निर्णय विधि के अनुरूप है।

8. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कहा कि जब वह अपने घर में अपनी माता के साथ थी, तब अभियुक्त/अपीलकर्ता वहाँ आया और ₹100 अग्रिम राशि देकर उससे अनुरोध किया कि वह उसके साथ सीधी जाकर नृत्य कार्यक्रम दे, इस पर उसने कहा कि वह उसके साथ तभी जा सकती है यदि उसका उचित ध्यान रखा जाए। तत्पश्चात्, अगले दिन अभियुक्त/अपीलकर्ता पुनः उसके पास आया और उक्त प्रयोजन हेतु साथ चलने को कहा, किन्तु उसने अपने माता-पिता को बताए बिना ऐसा करने से इंकार किया जो उस समय घर पर नहीं थे। तथापि, अभियुक्त द्वारा बार-बार कहे जाने पर वह उसके साथ चली गई, बिना अपनी माता को बताए जो उस समय पड़ोस में गई हुई थी। इस गवाह के अनुसार, सीधी जाने से पूर्व उसने संतोष नामक व्यक्ति से कहा कि वह उसके परिवारजनों को उसकी अभियुक्त/अपीलकर्ता के साथ प्रस्थान की सूचना दे। सीधी पहुँचने के अगले दिन, कुछ समय वहाँ ठहरने के बाद, वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के साथ सराई बाजार गई जहाँ मेक-अप की वस्तुएँ खरीदनी थीं, वहाँ अभियुक्त ने उसे नींबू-पानी जैसा रस पेय को दिया जिससे वह नशे की अवस्था में चली गई। तत्पश्चात् वह उसे अपने भाई की फल की दुकान पर ले गया, उसके वस्त्र उतार दिए और उसके विरोध करने पर भी उसे ज़मीन पर पटक कर बलपूर्वक यौनाचार किया। इसके बाद, इस गवाह के अनुसार, उसे उस स्थान पर वापस लाया गया जहाँ नृत्य कार्यक्रम होना था, किन्तु वह उसमें भाग नहीं ले सकी। उसके अनुसार, सीधी में तीन दिन रहने के बाद वह 8.11.2007 को घर लौटी। उसके अनुसार, 2-3 दिन बाद उसने पेट में दर्द होने पर अपनी माता को घटना बताई। इसके बाद उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-1 के अनुसार भेजा गया और घटना के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिन पहना हुआ उसका अंत:वस्त्र पुलिस द्वारा प्रदर्श पी-4 के अंतर्गत जब्त किया गया। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसके घर लौटने से पूर्व ही उसके परिवारजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी थी और पुलिस के समक्ष बयान देते समय उसने बलात्कार की घटना का उल्लेख नहीं किया था। उसने कहा कि उसे शिकायत की तथ्य अथवा उसके शिकायतकर्ता के बारे में जानकारी नहीं थी। इस गवाह के अनुसार, उसके पिता ने उससे कहा था कि उसे सरकार से धन तभी मिलेगा यदि वह वही कथन दे जो शिकायत में लिखा हुआ है। अपनी बयान के कंडिका 23 में उसने कहा कि सीधी जाने से पूर्व, अभियुक्त/अपीलकर्ता के साथ जाने पर अम्बिका सिंह ने आपत्ति की थी और अभियुक्त/अपीलकर्ता तथा उक्त अम्बिका सिंह के बीच विवाद विद्यमान था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अम्बिकेश्वर सिंह (अ.सा.-2) अभियोक्त्री के अंत:वस्त्र की जब्ती (प्रदर्श पी-14) के गवाह हैं। दल प्रताप (अ.सा.-3) स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-3) तथा अभियोक्त्री के जाति प्रमाणपत्र की जब्ती (प्रदर्श पी-6) के गवाह हैं। आशीष कुमार सक्सेना (अ.सा.-4) नायब तहसीलदार हैं जिन्होंने जाति प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-7) जारी किया जिसमें अभियोक्त्री की जाति 'चमार' अंकित है। डॉ. स्वाति बंसरिया (अ.सा.-5) वह गवाह हैं जिन्होंने अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-8) दी, जिसमें कहा गया कि अभियोजिका के शरीर पर कोई बाहरी या आन्तरिक चोट नहीं पाई गई, उसकी योनिपटिका अक्षुण्ण थी और उसकी योनि में दो अंगुलियाँ प्रवेश नहीं कर सकीं। इस गवाह के अनुसार अभियोक्त्री पर बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अभियोक्त्री के साथ यौनाचार का कोई चिन्ह नहीं पाया। सालोमी टोप्पो (अ.सा.-6) पटवारी हैं जिन्होंने स्थल नक्शा तैयार किया। डॉ. आर.पी. सिंह (अ.सा.-7) वह गवाह हैं जिन्होंने अभियुक्त/अपीलकर्ता का

चिकित्सकीय परीक्षण किया। इस गवाह के अनुसार अभियुक्त/अपीलकर्ता यौनाचार करने में सक्षम था। बंशीलाल (अ.सा.-8) अभियुक्त/अपीलकर्ता के अंतःवस्त्र की जब्ती (प्रदर्श पी-11) तथा गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-13) के गवाह हैं, किन्तु उन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित किए गए। प्रेम साहू (अ.सा.-9) निरीक्षक हैं जिन्होंने आंशिक विवेचना की। पुलिस कांस्टेबल संदीप बागीस (अ.सा.-10) ने भी आंशिक विवेचना की। स्मिति गीता (अ.सा.-11) अभियोक्त्री की माता हैं जिन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित की गईं। अभियोक्त्री की आयु के सम्बन्ध में इस गवाह ने कहा कि वह प्रासंगिक समय में लगभग 19-20 वर्ष की थी। राम प्रसाद (अ.सा.-12) अभियोक्त्री के पिता भी अभियोजन का समर्थन नहीं कर पाए और पक्षद्रोही घोषित किए गए। अभियोक्त्री की आयु के सम्बन्ध में इस गवाह ने कहा कि प्रासंगिक समय में वह लगभग 19-20 वर्ष की थी। उप निरीक्षक गोपाल धुर्वे (अ.सा.-13) विवेचक हैं जिन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया। नगर निरीक्षक वी.पी. शर्मा (अ.सा.-14) ने आंशिक विवेचना की। मोतीराम शांडिल्य (अ.सा.-15) वह गवाह हैं जिन्होंने रोजनामचा संहा में प्रविष्टि की। सबनम (अ.सा.-16) ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के समय वह विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका थीं और उन्होंने प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-18) जारी किया जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 5.7.1994 अंकित है। इस गवाह ने कहा कि उन्होंने मूल प्रविष्टि रजिस्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया और क्रमांक 441 पर अभियोक्त्री का नाम अंकित है तथा उसकी जन्मतिथि 9.9.1990 दर्शाई गई है। उनके अनुसार जब उन्होंने प्रविष्टि रजिस्टर से सत्यापन कर प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-18) जारी किया, तब प्रदर्श पी-24-सी में न तो कोई व्हाइटनर लगाया गया था और न ही कोई ओवर-राइटिंग थी। तथापि, उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त रजिस्टर के क्रमांक 226 पर एक बालिका का नाम बनमति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंकित है और उसकी जन्मतिथि 9.9.1990 दर्ज है। अपने साक्ष्य के अनुच्छेद 6 में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-18) उन्होंने अम्बिका सिंह के अनुरोध पर जारी किया था और पुलिस अधिकारी कभी उनके पास उक्त प्रमाणपत्र लेने नहीं आए।

9. इस प्रकार गवाहों के साक्ष्य, विशेषकर अभियोक्त्री के साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात्, इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध बयान देते समय अभियोक्त्री ने संगतता के मानक का पालन नहीं किया। उसके कथन में अनेक विरोधाभास और महत्वपूर्ण तथ्यों पर लोप विद्यमान हैं। चिकित्सकीय रिपोर्ट भी उस पर बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि रिपोर्ट देने वाले चिकित्सक के अनुसार अभियोक्त्री के शरीर पर कोई बाहरी या आन्तरिक चोट नहीं थी और उसकी योनिपटिका भी अक्षुण्ण पाई गई। इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री ने स्वयं कहा कि अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा दिए गए नींबू-पानी पीने के बाद वह नशे की अवस्था में चली गई और इस कारण उसके द्वारा बलात्कार की घटना का कथन स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मानसिक संतुलन खो देने पर वह यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। यह वास्तविक स्थिति होने के कारण, अभियुक्त/अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहाँ तक उसकी आयु का प्रश्न है, उसकी माता (श्रीमती) गीता और पिता राम प्रसाद (अ.सा.-11 एवं अ.सा.-12 क्रमशः) ने कहा कि प्रासंगिक समय में अभियोक्त्री लगभग 19 वर्ष की थी। एक्स-रे रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 15 से 17 वर्ष आंकी गई, जबकि प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-18) में उसकी जन्मतिथि 5.7.1994 अंकित है, किन्तु प्रदर्श पी-24-C, जो प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-18) तैयार करने

का आधार था, उसमें एक स्थान पर उसकी जन्मतिथि 9.9.1990 दर्शाई गई है। इस प्रदर्श पी-24-सी में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 9.9.1990 लिखते समय व्हाइटनर का प्रयोग किया गया है। इन परिस्थितियों में यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री अपनी आयु के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी और इस दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 एवं 366 के प्रावधान भी इस मामले में लागू नहीं होते। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है जिसे अभियोजन द्वारा संतोषजनक रूप से नहीं समझाया गया। इस मामले में घटना 5.11.2007 को हुई, अभियोक्त्री 8.11.2007 को घर लौटी, किन्तु पहली बार शिकायत उसने 19.11.2007 को न्यायालय में की। शिकायत की सामग्री के अनुसार, उसने पहली बार 13.11.2007 को रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। यदि इस तिथि को भी माना जाए, तो भी यह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है कि रिपोर्ट 13.11.2007 तक क्यों दर्ज नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के साक्ष्य से यह भी परिलक्षित होता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता और अम्बिका सिंह के बीच विवाद था। सबनम (अ.सा.-16) ने अपने साक्ष्य में कहा कि प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-18) उन्होंने उक्त अम्बिका सिंह के कहने पर जारी किया था ही और यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए, तो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कहानी संदेहास्पद हो जाती है और उसका लाभ अभियुक्त/अपीलकर्ता को दिया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में, इस न्यायालय का विचार है कि विचारण न्यायालय ने गवाहों के कथनों का समुचित दृष्टिकोण से परीक्षण नहीं किया और इस कारण आक्षेपित आदेश निरस्त होने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है। आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया

जाता है। वह कारागार में है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

हस्ताक्षर/-

पृतिन्कर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)